प्रेस नोट

जनपद-संतकबीरनगर

दिनाँक 05.03.2026

महुली पुलिस की सख्त कार्यवाही, 66 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

पुलिस की सक्रियता से भागने की योजना हुई विफल, 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व मे महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 05.04.2026 को थाना महुली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/2026 धारा 64(1) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता गोविन्द्र पुत्र रामबेलाश निवासी डहरौली थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को डहरौली से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 04.03.2026 को थाना महुली पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध प्रार्थी के माता के साथ दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना महुली पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त अभियुक्त के भागने की योजना विफल करते हुए 24 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश पाण्डेय, उ0नि 0 परमेश मिश्रा चौकी प्रभारी शनिचरा बाबू,हे 0का0गौतम यादव का0 मनीष कुमार, का0 संदीप गौड़।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान 5.0* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्व दवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में *थाना मेंहदावल पुलिस* द्वारा मु0अ0सं 75/2026 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व ¾ पाक्सो एक्ट थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त संदीप पुत्र चन्द्रिका निषाद निवासी बढ़या टोला, खैरहवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 05.03.2026 को बाराखाल तिराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 04.03.2026 को थाना मेंहदावल पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 05.03.2026 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष मेंहदावल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 मोतीलाल यादव, हे0का0 अजय कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 15 वाहनों से 17,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 05.03.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 15 वाहनों से 17500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में NBW वांछित/ वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना महुली पुलिस की बड़ी कार्यवाही, 04 वारंटी गिरफ्तार

अभियान की कार्यवाही वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध निरंतर रहेगी जारी: एस0 पी0 संतकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक *श्री सुशील कुमार सिंह* के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी धनघटा *श्री अभयनाथ मिश्र* के मार्गदर्शन में थानाध्यक्ष महुली *श्री दुर्गेश पाण्डेय* के नेतृत्व में वारंटी (एनबीडब्लू) अभियुक्तों के विरूद्ध चलाए गये अभियान के अन्तर्गत थाना महुली पुलिस द्वारा कुल 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कर विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसका विवरण थानावार निम्नवत है-

01.गणेश पुत्र रामनाथ निवासी नगर पंचायत हरिहरपुर वार्ड नं0 01 सवापार अम्बेडकरनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

02. ज्ञानबहादुर पुत्र रामभरत ग्राम जमिरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

03. रामजीत पुत्र सुमेरी उर्फ रामसुमेर निवासी ग्राम ओनिया उर्फ ओनबिलाई थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

04. सोनू निषाद पुत्र फूलचन्द निषाद निवासी ग्राम घोरहट थआना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश कुमार पाण्डेय, उ0नि0 श्री अनुज कुमार यादव, उ0नि0 श्री देवेन्द्र तिवारी, उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह चौकी प्रभारी हरिहरपुर, उ0नि0 श्री अजीत प्रताप सिंह चौकी प्रभारी मुखलिसपुर, हे0का0 अनिल कुमार यादव, हे0का0 नुरुद्दीन खानं, का0 बब्बल यादव, का0 छोटेलाल व का0 विनोद कुमार मौर्या।